12

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

पत्रांक/147 /जे.डी.ए./शमन मानचित्र–(2022–2023) दिनांक4-05-2022

श्री जगदीश मिश्रा

द्वारा सनफ्रान डेबलपर प्रा०लि०

साईट ऑफिस सनफ्रान अशोक सिटी

नियर ग्राम मैरी,कानपुर ग्वालियर बाई–पास रोड, झांसी

आप द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत संशोधित बिल्डिंग प्लान ग्रीन होम रेजीडेन्सी योजना के तलपट मानचित्र मे व्यावसायिक भूखण्ड क्षेत्रफल 1809.77 वर्ग मी0 पर "सनफ्रान प्लाजा" व्यवसायिक ऑनलाइन मानचित्र संख्या–MAP20191007180244257 दिनांक 06.01.2020 को स्वीकृत किया गया था। तत्पश्चात सनफ्रान डेबलपर प्रा0 लि0 द्वारा उपरोक्त प्रश्नगत स्थल का स्वीकृत व्यवसायिक मानचित्र का संशोधित मानचित्र दिनांक 16.02.2021 को स्वीकृत हुआ है। पुनः उक्त स्थल का संशोधित मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया है, जिसकी दिनांक 30.04.2022 को उ0प्र0नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत प्रदान की जाती है। स्वीकृति मानचित्र संलग्न है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक से केवल पांच वर्ष तक वैद्य है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जाएगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत यदि भविष्य सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नही होगा वहां प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नही होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृति के अनुसार कराया जायेगा ।
7. आप भवन उपनियमों के नियम 21 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (औकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।
12. इस मानचित्र की स्वीकृति अनुबंध में उल्लिखित शर्तो के अधीन है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्नक :– स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

4.5.22

सचिव

झांसी विकास प्राधिकरण

Scanned with CamScanner